

मध्यप्रदेश शासन की योजना

**उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग के
छात्र-छात्राओं के लाभार्थ**

**विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली
विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना**

मार्गदर्शिका

मांग संख्या 44 योजना कोड – 0744 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आयोजना शीष

वर्ष 2024–25

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश– 462004
दूरभाष 0755–2551573

Website: www.highereducation.mp.gov.in
E-mail: heschlor@mp.gov.in

**उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के लाभार्थ
विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए
छात्रवृत्ति योजना**

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के नोडल अधिकारी	03
2.	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्लेण्डर	04
3.	विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर एवं पी-एच.डी. शोध उपाधि छात्रवृत्ति योजना	05
4.	योजना की मुख्य शर्तें/प्रावधान	06–07
5.	अन्य अनिवार्य शर्तें/नियम/प्रावधान	08–14
6.	परिशिष्ट	15–32

**उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग
के छात्र-छात्राओं के लाभार्थ**

**विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली
विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना**

नोडल अधिकारी

विभागाध्यक्ष	:	आयुक्त, उच्च शिक्षा
नोडल अधिकारी	:	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (छात्रवृत्ति)
दूरभाष क्रमांक	:	0755—2551573
कार्यालय का पता	:	कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुङ्ग भवन भोपाल, मध्यप्रदेश –462004
ईमेल पता	:	heschlor@mp.gov.in

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग

के छात्र-छात्राओं के लाभार्थ

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

वार्षिक केलेण्डर

क्र.	विषय	विवरण
1.	कुल छात्रवृत्तियों की संख्या	20
2.	छात्रवृत्ति का पाठ्यक्रम	(I) स्नातकोत्तर अध्ययन (II) शोध अध्ययन: पी.एच.डी. उपाधि
3.	पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या का विभाजन	विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
4.	विज्ञापन जारी करने की तिथि (वर्ष में दो बार)	10–10 सीटों के लिए
5.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	प्रकाशित विज्ञापन अनुसार
6.	आवेदन पत्रों की स्कूलनी	छानबीन समिति द्वारा
7.	चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार	चयनित विद्यार्थियों का साक्षात्कार उपरांत
8.	अंतिम चयन सूची	प्रकाशन
9.	छात्रवृत्ति का आवंटन	वीज़ा प्राप्त करने की लिखित सूचना पश्चात् जारी की जावेगी।
10.	छात्रवृत्तिगृहिता तथा संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था को प्रथम किश्त की राशि का प्रेषण	वीज़ा प्राप्त करने की लिखित सूचना पश्चात् जारी की जावेगी।
11.	छात्रवृत्तिगृहिता के द्वारा राज्य शासन को पाठ्यक्रम में शामिल होने की सूचना अनिवार्यतः दी जाना	छात्रवृत्ति गृहिता के द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल होने के सात दिवस के अंदर छात्रवृत्ति शाखा के ई-मेल heschlor@mp.gov.in पर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर एवं पी-एच.डी. शोध उपाधि छात्रवृत्ति योजना

मांग संख्या 44 योजना कोड 0744—प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आयोजना शीर्ष वार्षिक योजना 2017–18 योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित पेविभाशाली विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध—उपाधि(पीएच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष जनवरी से जून सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति तथा जुलाई से दिसम्बर सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

योजना का उद्देश्य:

मध्यप्रदेश के मूल निवासी सामान्य/ अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शासकीय खर्च पर उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजने की व्यवस्था हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है। योजना अंतर्गत मैरिट के आधार पर विदशों में उच्च शिक्षा के लिये चयनित विद्यार्थियों की फीस का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। अर्हताकारी योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम में चयनित आवेदनकर्ता की समस्त स्त्रोत से वार्षिक पारिवारिक आय 08 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदनकर्ता की उम्र अधिकतम 30 वर्ष एवं पीएच.डी शोध उपाधि के लिए आवेदनकर्ता की उम्र अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। आयु की गणना आवेदन वर्ष की 01 जनवरी को मान्य कर की जावेगी।

छात्रवृत्ति योजना का कैलेण्डर :

छात्रवृत्ति योजना का कैलेण्डर मार्गदर्शिका के प्रारम्भ में उल्लेखित है जिसके अनुसार प्रतिवर्ष योजना संचालित की जावेगी। जिसमें वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी माह एवं जुलाई माह में प्रारम्भ होने वाले सत्रों के लिए विदेश में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

छात्रवृत्ति योजना की अवधि और पाठ्यक्रम :-

01.	स्नातकोत्तर	02 वर्ष
02.	पीएच.डी.शोध उपाधि	02 वर्ष

- (I) स्नातकोत्तर उपाधि हेतु — मध्यप्रदेश एवं देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से उच्च शिक्षा के अंतर्गत पारम्परिक/स्ववित्तीय योजना से संचालित पाठ्यक्रम/व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होकर विदेश में निर्धारित विश्वविद्यालय से चयनित होने पर नियमानुसार अध्ययन करने की पात्रता होगी।
- (II) पीएच.डी. शोध उपाधि हेतु— संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव/एम.फिल उपाधि होना अनिवार्य है।

योजना की मुख्य शर्तें :—

1. आवेदक के अर्हताकारी योग्य परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक हों।
2. विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश या प्रवेश हेतु सहमति/ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका हो, इससे संबंधित प्रपत्र आवेदक प्रस्तुत करेगा एवं प्रवेश की शर्तों तथा अर्हता के साथ जैसे जीआरई/जीएमएटी/टीओएफई.एल. आदि की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।
3. राज्य शासन द्वारा विद्यार्थी की फीस/शुल्क सीधे संबंधित विश्वविद्यालय को दी जावेगी। परंतु शुल्क प्रतिपूर्ति में विलंब होने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयनित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के आमंत्रण पत्र के आधार पर प्रायोजित पत्र (स्पॉसरशिप लैटर) जारी होने के उपरांत विद्यार्थी/माता-पिता/अभिभावक द्वारा ऋण लेकर विश्वविद्यालय शुल्क जमा करने पर शुल्क की राशि विद्यार्थी/माता-पिता/अभिभावक के ऋण खाते/ऋण से संबंधित खातों में देय वास्तविक शुल्क की राशि का भुगतान/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। अन्य व्यय जैसे :— वीजा शुल्क, बीमा, इकॉनोमी क्लास का वायुयान किराया का वास्तविक व्यय एवं स्टेशनरी व्यय की राशि का भुगतान चयनित विद्यार्थी के बैंक खातों में किया जावेगा।
4. आवेदनकर्ता/विद्यार्थी को जी.आर.ई./जी.एम.ए.टी./टी.ओ.एफ.ई.एल./आई.ई.एल.टी.एस.कीअर्हता प्राप्त करनी होगी। (प्रवेश हेतु चयनित विश्वविद्यालय की मांग अनुसार)
5. आवेदनकर्ता/विद्यार्थी का चयन मेरिट तथा लघुकृत प्रत्याशियों के साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
6. राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्तिगृहीता को वास्तविक व्यय या अधिकतम वार्षिक 38,000 अमेरिकी डॉलर के साथ 2,000 अमेरिकी डॉलर (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिंग एवं अन्य कार्य हेतु) इस प्रकार कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में देय होगा। इस पूरी राशि का बॉण्ड आवेदक से प्राप्त किया जाएगा।
7. चयनित अभ्यर्थी म.प्र.शासन की पूर्व अनुमति के अध्यधीन जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा एवं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी, अपनी रुचि के किसी ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन जारी रख सकें, जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध हैं। योजना में उल्लेखित पाठ्यक्रम/विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों को स्वयं प्रयास करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को उस देश का उपयुक्त वीजा स्वयं प्राप्त करना होगा, जहां स्नातकोत्तर/पीएच.डी. के लिए छात्रवृत्तिगृहीता को वीजा प्राप्त करना है। वीजा जिस देश के लिए प्राप्त किया जायेगा उस देश की वीजा की शर्तों में जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि छात्रवृत्तिगृहीता उस देश में अध्ययन के उद्देश्य से वीजा प्राप्त कर रहा है। उन्हीं शर्तों को ही छात्रवृत्ति देते समय देखा जावेगा तदनुसार छात्रवृत्ति छात्र वीजा (**Student Visa**) होने पर ही जारी की जायेगी। वीजा प्राप्त करने में मध्यप्रदेश सरकार अभ्यर्थी को वीजा शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी।

9. चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रस्थान से पूर्व ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे अनुबंध निर्धारित करने होंगे, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित किए जाएं।
10. छात्रवृत्तिगृहिता का चयन केवल विद्यार्थियों की संख्या की सीमा में स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच.डी. शोध उपाधि स्तर पर प्राप्त अंको की मैरिट और चयन समिति द्वारा बनाई गई सूची के मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए बनाई गई चयन सूची में से कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में कुल सीट 07 स्नातकोत्तर एवं 03 पीएच.डी. शोध उपाधि छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित होगी। यदि कोई आवेदक/शोधार्थी संबंधी संकाय विषय में स्नातकोत्तर/एम.फ़िल स्तर पर समान अंक प्राप्त करता है, तो वहां एम.फ़िल धारक को एम.फ़िल में प्राप्त अधिक अंक वाले एवं अतिरिक्त योग्यता धारक को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दोनों आवेदक एम.फ़िल हो एवं समान अंक हो तो जिसका पंजीयन पूर्व का हो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
11. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति की संख्या का विवरण:

क्र.	विवरण	जनवरी	जुलाई
1.	कुल छात्रवृत्ति संख्या – 20	10	10
2.	स्नातकोत्तर (निर्धारित कुल सीट)	7	7
3.	पीएच.डी. शोध उपाधि (निर्धारित कुल सीट)	3	3

12. कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में प्राप्त आवेदनों के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन समिति द्वारा योजना का लाभ प्रदाय करने हेतु आवेदकों का चयन किया जावेगा। कला संकाय के विद्यार्थियों को मैरिट में स्थान प्राप्त नहीं होने पर चयन समिति को कला संकाय के आवेदक के चयन का अधिकार होगा।
13. मूलनिवासी—म.प्र. के मूल निवासी होने के साथ ही आवेदक को अनारक्षित वर्ग का होना अनिवार्य है। आवेदक दिव्यांग श्रेणी का होने की स्थिति में निःशक्तता का प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के मूल निवासी मध्यप्रदेश बोर्ड हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, सी.बी.एस.सी. और आई.सी.एस.सी.आई.परीक्षा मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण होकर देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित कर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वे ही इसके पात्र होंगे।
14. एक परिवार से एक अभ्यर्थी एवं एक बार छात्रवृत्ति – उन्हीं माता–पिता अथवा अभिभावकों के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का स्वयं का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके व्यक्ति के नाम पर दूसरी बार अथवा उसके उपरांत छात्रवृत्ति देने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
15. आय सीमा— आवेदक के माता–पिता/अभिभावक/अभ्यर्थी की पत्नी/पति की समस्त स्त्रोंतों से कुल वार्षिक आय ऐसे भत्तों को छोड़कर जिन्हें आयकर की दृष्टि से कुल आय का भाग नहीं माना जाता, आयकर सीमा समस्त स्त्रोंतों से पारिवारिक आय राशि रूपये आठ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में नियोक्ता प्रमाण–पत्र एवं यदि प्राईवेट नौकरी में हो तो आयकर

दाता होने पर अद्यतन आयकर निर्धारण की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करें। छानबीन समिति लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर मापदण्ड निर्धारित करेगा जिसमें वास्तविक आय के आधार पर विचार किया जाएगा। आवेदक के माता—पिता/अभिभावक/अभ्यर्थी की पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय के संबंध में एक नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। (परिशिष्ट 02 एवं 07)

16. आय सीमा हेतु प्रमाण—पत्र :—आवेदक की पारिवारिक आय (आवेदक स्वयं एवं पालक/अभिभावक सहित) आय—सीमा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक आय—सीमा से अधिक न हो। विद्यार्थियों/ अभिभावक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी –3 – 7 – 2013 – 3 एक दिनांक 25.9.2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है। आय हेतु शपथ पत्र निर्धारित परिशिष्ट 02 में प्रस्तुत किया जाना है।
17. अन्य अनिवार्य शर्तें –
- 17.1 आवेदनकर्ता रोजगार प्राप्त नहीं होना चाहिए एवं आवेदक के द्वारा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उपरोक्त उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी तरह की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है। इस संबंध में नोटरी से नियमानुसार प्रमाणित शपथपत्र लिया जायेगा।
- 17.2 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उसी सत्र में संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। जिस सत्र हेतु उसका चयन किया गया हैं, समय वृद्धि एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम तीन वर्षों की समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर छात्रवृत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेंगी। योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय वृद्धि का कोई भी आवेदन/निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अधिमान्य एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अवधि अधिकतम दो वर्ष अथवा पाठ्यक्रम समाप्त होने की अवधि जो भी कम हो उसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। पी.एच.डी. शोध उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए चार वर्ष की अवधि सुनिश्चित की जाती है। परन्तु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पी.एच.डी. शोध उपाधि के लिए अधिकतम दो वर्ष के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। दो वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर शोध छात्रवृत्तिगृहिता को शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यतः उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- 17.3 अभ्यर्थी स्वीकृत किए गए अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा शोधचर्चा में परिवर्तन कर सकेगा। यदि विषय परिवर्तन किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को समय सीमा में सूचित करना होगा किन्तु परिवर्तित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा एवं निर्धारित देय राशि 40 हजार (38हजार+2हजार) अमेरिकी डॉलर में ही पूर्ण करना होगा। यदि परिवर्तित विषय/पाठ्यक्रम में (38हजार+2हजार) अमेरिकी डॉलर निर्धारित राशि से अधिक का व्यय भार आता है तो छात्रवृत्तिगृहिता को स्वयं अतिरिक्त राशि का वहन करना होगा।
- 17.4 बंध पत्र का निष्पादन : चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश सरकार के पक्ष में उस पर व्यय की जाने वाली राशि अथवा पचास हजार रुपये, दोनों में से जो भी अधिक हो, का एक बंध पत्र में न्यायिक मुद्रांक पत्र पर नोटरी के समक्ष दो जमानतदारों, जो अलग—अलग जमानत पत्रक भरेंगे, निष्पादित करना होगा। (परिशिष्ट 04)

- 17.5 प्रत्येक बंध पत्र में विदेश में संपूर्ण अध्ययन के दौरान छात्रवृत्तिगृहीता पर भारतीय रूपयों में विशिष्ट रूप से अनुमानित व्यय किए जाने वाले यात्रा खर्च, शिक्षण शुल्क, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण वृत्ति एवं अन्य फुटकर खर्चों का समावेश होगा और यह राशि सुरक्षादाता द्वारा अथवा छात्रवृत्तिगृहीता द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को पृथक्तः और संयुक्तः उस स्थिति में देय होगी, यदि उसे उस योजना के प्रावधानों के अधीन चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है। इस बंधपत्र की भाषा म.प्र. शासन द्वारा तय की जाएगी और प्रत्याशी को स्वीकार्य होगी।
- 17.6 अंशकालीन कार्य की अनुमति : विदेश में अध्ययन के दौरान यदि छात्रवृत्तिगृहीता के द्वारा अंशकालीन कार्य जैसे लायब्रेरी में सहायक, कॉउंसलर आदि बतौर कार्य करता है तो इस तरह से अर्जित धन रोजगार से प्राप्त आय की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। इस कार्य को रोजगार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन/प्रवेश लेने पर विदेश में रुकने हेतु समय वृद्धि के लिए विभाग द्वारा अनुमति जारी नहीं की जावेगी। वर्क वीजा प्राप्त करने की स्थिति में विभाग द्वारा आवेदक को केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक के साथ विदेश में किसी भी दुर्घटना के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। वीजा इत्यादि की समस्त कार्यवाही आवेदक को स्वंयं नियमानुसार करनी होगी।
- 17.7 प्रत्याशी को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के साथ एक और बंध पत्र निष्पादित करना होगा कि वह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा, इस आशय का एक प्रपत्र/स्वीकृति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और प्रत्याशी को वह स्वीकार्य होगा।(परिशिष्ट 05)
- 17.8 उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति से अध्ययन कर रहे छात्रवृत्तिगृहीता के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- 17.9 उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की ओर से छात्रवृत्तिगृहीता के साथ जाने वाले माता—पिता, जीवन साथी और बच्चों के लिए शासन द्वारा कोई खर्च देय नहीं होंगे।
- 17.10 शोध कार्य में व्यवधान की स्थिति: यदि शोधकार्य के दौरान पी.एच.डी. कर रहे छात्रवृत्तिगृहीता को यदि ये समस्याएँ आती हैं कि –
- मूलतः पंजीकृत विश्वविद्यालय/संस्थान से उसका शोध निर्देशक पद त्यागकर चला गया हो और तत्काल उसका कोई विकल्प उपलब्ध न हो।
 - उस विश्वविद्यालय/संस्थान ने उस शोध क्षेत्र में शोध समर्थन देना बंद कर दिया हो। ऐसी परिस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन की संतुष्टि एवं सहमति से विश्वविद्यालय/संस्थान बदलने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते छात्रवृत्तिगृहीता द्वारा अपने मूल विश्वविद्यालय/संस्थान में अर्जित उपलब्धियों को दूसरे विश्वविद्यालयों/संस्थान में अंतरित की जाए एवं ऐसे स्थान परिवर्तन/विश्वविद्यालय परिवर्तन के बाद भी छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित कुल अवधि के दौरान सिर्फ एक ही बार किया जा सकेगा।
- 17.11 छात्रवृत्तिगृहीता को चयनित पाठ्यक्रम हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के सम्मुख इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय से ऐसी योग्यता अर्जित नहीं कर ली है अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय में ऐसीयोग्यता के लिए सक्रिय संभावनायुक्त स्वयं के द्वारा अंतिम रूप से कोई शोध प्रबंध प्रस्तुत

नहीं किया है। उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन अभ्यर्थी से ऐसी घोषणा प्राप्त होने के उपरांत ही सम्यक रूप से यह निर्णय लेगा कि योजना के अंतर्गत क्या प्रत्याशी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए अथवा नहीं। अभ्यर्थी से संबंधित ऐसे सभी अप्रत्याशित मामलों में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के परामर्श से निर्णलय लेगा, जिसके बारे में इस लिखित योजना में उल्लेख नहीं किया गया है और इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का निर्णय अंतिम और छात्रवृत्तिगृहीता पर बंधनकारक होगा।

- 17.12 विवाद की स्थिति में वाद का निराकरण: अभ्यर्थी से संबंधित ऐसे सभी अप्रत्याशित मामलों में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के परामर्श से निर्णय लेना, जिसके बारे में इस लिखित योजना में उल्लेखित नहीं किया गया है और इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का निर्णय अंतिम और छात्रवृत्तिगृहीता पर बंधनकारक होगा। इस योजना के निष्पक्ष मामलों पर किसी वाद के निराकरण के लिए भोपाल स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
- 17.13 विहित वित्तीय सहायता संबंधित पाठ्यक्रम/शोध के पूरा होने अथवा 02 वर्ष जो भी पहले पूरी हो, तक के लिए देय होगी।
- 17.14 मात्र संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा (साथ ही विदेश स्थित भारतीय दूतावास द्वारा) इस आशय की प्रमाणित अनुशंसा ऐं प्राप्त होने पर कि एक विशिष्ट समयावधि तक के लिए अधिक रुकना पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नितांत आवश्यक है, विचार किया जा सकेगा। तथापि, इस बारे में अंतिम निर्णय एकमेव उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन पर निर्भर करेगा।
- 17.15 इस योजना का क्षेत्राधिकार चुने हुए अभ्यर्थी को विशिष्ट विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए केवल विहित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
- 17.16 विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु विधि द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन परिशिष्ट अनुसार करना होगा। आवेदन पत्र में चयनित विदेशी संस्था, पाठ्यक्रम एवं उस देश के विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। इस संबंध में मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 01 अनुसार संलग्न सूची में से शोध संबंधी विश्वविद्यालयों के नाम ही चुने जा सकते हैं जो अधिकृत है। (परिशिष्ट 01)
- 17.17 ऊपर निर्दिष्ट वित्तीय सहायता के भुगतान तथा स्वीकृति का तरीका उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, द्वारा अभिनिश्चित किया जाएगा। ये दरें समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेंगी। अध्ययन के दौरान यदि विश्वविद्यालय/संस्थान में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि होती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 17.18 नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर एवं वर्ष के लिए दोबारा अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु अनुत्तीर्ण सेमेस्टर/वर्ष में पुनः परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अगले सेमेस्टर/वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होने पर चालू शिक्षण सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

17.19 यह योजना, उसका संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएगी। प्रत्याशी अपनी सक्षमता और उपयुक्तता का निर्धारण करने के बाद, विहित प्रपत्र में जो कि विज्ञापन का ही अंग होगा, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन को आवेदन कर सकेंगे (नियोजित प्रत्याशी उपयुक्त प्रणाली से आवेदन भेजेंगे)। विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख किया जाएगा। निश्चित दिनांक तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र परीक्षण हेतु छानबीन समिति के समक्ष रखे जाएंगे। छानबीन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले प्रत्याशियों (संभवतः तीन गुना) को साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष बुलाया जाएगा। चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची अंतिम और निर्णायिक रूप से जारी की जायेगी। दो प्रत्योशियों के बीच अंकों/प्रावीण्यता की समानता होने की स्थिति में उनके बीच चयन 10वीं/12वीं के प्रमाणपत्र में दर्ज उनकी जन्मतिथि के आधार पर होगी अर्थात् जो आयु में वरिष्ठतम होगा उसे चुना जाएगा।

17.20 छानबीन समिति का स्वरूप :

क्र.	समिति का स्वरूप	पदनाम
(i)	अपर संचालक/अपर आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	अपर संचालक, (वित्त)	सचिव/संयोजक
(iii)	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उ.शि.वि.	सदस्य
(iv)	प्राध्यापक	सदस्य
(v)	सह-प्राध्यापक	सदस्य

छानबीन समिति के लिए सन्दर्भ/शर्तें : छानबीन समिति विदेशी विश्वविद्यालयों का चयन कर सूची तैयार करेगी, जो आगामी 03 वर्ष के लिए मान्य होगी। सूची में सम्मिलित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर पर ही आवेदक छात्रवृत्ति हेतु पात्र होगा। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य भी छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा।

योजना हेतु समुचित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु सूची तैयार करना/संशोधित करना।

- I. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु आवश्यक गुणात्मक मापदण्ड/मेरिट निर्धारित करना।
- II. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार कर गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों चयन करना।
- III. प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार स्वीकृत छात्रवृत्ति के अभ्यर्थियों के लिए शेष राशि स्वीकृत करने हेतु छानबीन समिति की बैठक आयोजित करना।
- IV. प्रत्येक 06 माह में कम से कम दो बार प्रतिभावान विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु छानबीन एवं चयन समिति की बैठक आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए।

17.21 चयन समिति का स्वरूप :

क्र.	समिति का स्वरूप	पदनाम
(i)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सचिव
(iii)	आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग	संयोजक
(iv)	अपर संचालक, वित्त	सदस्य
(v)	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (छात्रवृत्ति) उ.शि.वि.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य

नोट : समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के भी विशेषज्ञों से आवश्यकतानुसार सलाह मशविरा कर सकेगी।

चयन समिति के लिए संदर्भ/शर्तेः

- I. छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित छात्रवृत्तिगृहीता के नामों के पैनल का परीक्षण (नियम शर्तों के अनुरूप)
 - II. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि अपात्र छात्रवृत्तिगृहीता के नाम यदि कोई हो तो उसे निरस्त कर सकेंगे। तथा नियमानुसार उपयुक्त पात्रता वाले अभ्यर्थी को गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार वाली सूची में शामिल किया जायेगा।
 - III. साक्षात्कार के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के मापदण्ड चयन समिति तय करेगी।
 - IV. साक्षात्कार के लिए तिथि का निर्धारण करेगी।
 - V. साक्षात्कार आयोजन के उपरान्त गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नाम अधिसूचित करेगी।
 - VI. चयन प्रक्रिया में किसी तरह की शिकायत/अपील प्राप्त होने पर समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।
 - VII. चयन प्रक्रिया में समय—समय पर होने वाले संशोधनों के लिए भी निर्देश जारी कर सकेगी।
- 17.22 विदेश में अध्ययन के दौरान उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्रवृत्तिगृहीता से यदि किसी प्रकार की जानकारी मांगी जाती है या निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी :-**

18. शर्तों के उल्लंघन पर वसूली की प्रक्रिया :—

- 18.1 आकस्मिकताओं की दशा में जहां छात्रवृत्तिगृहीता का विपरीत परिस्थिति से सामना करने के लिए कुछ समय के लिए भारत लौटना अनिवार्य हो, उसे वैसा करने की अनुमति दी जा सकेगी। बशर्ते संबंधित शैक्षणिक संस्थान को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। तथापि, ऐसे आगमन के लिए छात्रवृत्तिगृहीता को आने-जाने का यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा। घर पर आकस्मिकता का सामना करने के तुरंत बाद, जितनी जल्दी संभव हो छात्रवृत्तिगृहीता को अपने शैक्षणिक संस्थान में लौट आना होगा, वैसा न कर पाने की दशा में या अन्यथा जानकारी प्राप्त होने पर उसे चूककर्ता (डिफाल्टर) घोषित किया जा सकेगा। और उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- 18.2 डिफाल्टर घोषित होने की प्रक्रिया : इस योजना के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी से कोई चूक (डिफाल्टर) होने पर जैसे कोई अभ्यर्थी जो विदेश में अध्ययन कर रहा है, स्वयं के द्वारा इस बारे में निष्पादित बंधपत्र की शर्त और दशाओं का उल्लंघन करता है और यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अध्ययन के बारे में म.प्र. शासन को प्रतिकूल प्रतिवेदन सूचित किया जाता है अथवा प्रत्याशी वह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है अथवा लापता हो जाता है अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेता है अथवा बिना म.प्र. शासन को सूचित किए भारत लौट आता है तो उसे चूककर्ता (डिफाल्टर) घोषित कर दिया जाएगा एवं उस पर व्यय की गई संपूर्ण राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज के लौटाने हेतु वह दायित्वधीन होगा और यदि प्रत्याशी मांगपत्र भेजे जाने की दिनांक से छःमाह के भीतर उसे नहीं लौटाता तो शेष राशि पर देय सामान्य व्याज के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत दाण्डिक व्याज भारित होगा। यदि अभ्यर्थी शोध्य राशि मय व्याज के म.प्र. शासन द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अदा कर पाने में विफल रहता है तो बंधपत्र निष्पादित करने वाले उसके सुरक्षादाता इस संपूर्ण राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे और इसमें विफल रहने पर संबंधित जिले का कलेक्टर इसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करेगा। उपरांत विद्यार्थी प्रदेश में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- 18.3 असत्य जानकारी देने पर कार्यवाही : यदि कोई अभ्यर्थी असत्य जानकारी प्रस्तुत कर ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो असत्य ठहराए जाएं वह इस छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा और यदि उसने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है तो उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही संस्थित की जाएगी जो कि उस पर व्यय धनराशि की 15 प्रतिशत व्याज सहित होगी। ऐसा प्रत्याशी भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि छः माह के भीतर मय व्याज सहित धन राशि वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
- 18.4 यदि छात्रवृत्तिगृहीता ने किसी स्तर पर वास्तविक व्यय से अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया हो तो उस पर मध्यप्रदेश सरकार को उसे लौटाने का दायित्व होगा और उसके नियोक्ता (यदि कोई हो) को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह आधिक्य भुगतान की राशि को उससे वसूल कर ले और मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर उसकी प्रतिपूर्ति उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को कर दें।
- 18.5 उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर आने वाली कठिनाईयों/मामलों में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

- 18.6 विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा छात्रवृत्तिगृहीता के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी का किया जाना : यदि प्रतिवेदन में छात्रवृत्तिगृहीता के संबंध में कोई गम्भीर टिप्पणी या प्रतिकूल टिप्पणी सूचित होती है जिससे छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के मापदण्ड प्रभावित होते हैं ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय/संस्थान छात्रवृत्तिगृहीता को प्रथम दृष्टया सुधार के लिए लिखित रूप में समझाईश एवं सलाह देगा। किन्तु यदि छात्रवृत्तिगृहीता में किसी भी प्रकार का सुधार न होने कि दशा में विश्वविद्यालय/संस्थान उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को छात्रवृत्ति समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकेगा।
- 18.7 ऐसे प्रकरणों में जहाँ छात्रवृत्तिगृहीता को उसके द्वारा अध्ययन किए जा रहे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निम्नतर श्रेणी का मूल्यांकन किया जाता है (जैसे— पीएच.डी. के स्थान पर एम.फिल. प्रदान किया जाना) तो म.प्र. शासन उन परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और अभिनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा छात्रवृत्तिगृहीता की शैक्षणिक अक्षमता की वजह से हुआ अथवा इसके पीछे छात्रवृत्तिगृहीता के समक्ष कोई अन्य विपरीत परिस्थितियां थी, जैसे पाठ्यक्रम निर्देशकों का बार-बार बदला जाना, कुछ अवधि के लिए निर्देशक का ही न होना, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होने पर अभ्यर्थी का मानसिक परिपीड़न इसके उपरांत ही उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन छात्रवृत्तिगृहीता को चूककर्ता घोषित करने या न करने का निर्णय लेगा। ऐसे प्रकरणों में म.प्र. शासन लघुतम दूरी से इकॉनामी दर्जे का भारत वापसी का वायुमार्ग का किराया उपलब्ध कराएगा और यदि छात्रवृत्तिगृहीता को चूककर्ता घोषित किया गया है तो संपूर्ण धनराशि, उस पर देय व्याज सहित वसूलनीय होगी।
- 18.8 यदि छात्रवृत्तिगृहीता विदेश में अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने के बाद एक माह से अधिक अवधि तक वहाँ रुककर अपने खर्च से भारत वापस लौटता है तो उसे वापसी किराए की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।
19. वित्तीय सहायता :
- 19.1 पोल टेक्स— जहाँ, कहीं देय होगा, वास्तविक खर्च देय होगा।
- 19.2 वीजा शुल्क—भारतीय रूपयों में वास्तविक वीजा शुल्क की प्रतिपूर्ति/भुगतान किया जाएगा।
- 19.3 शुल्क और बीमा प्रीमियम—वास्तविक खर्च दिया जाएगा।
- 19.4 वायुयान से की गई वास्तविक यात्रा— शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का लघुतम वायुमार्ग से, इकॉनामी दर्जे का किराया उपलब्ध कराया जायेगा।

- 19.5 स्वीकृति उपरांत छात्रवृत्ति की आगामी किश्तों के भुगतान की प्रक्रिया :— स्नातक/शोधार्थियों को पीएच.डी. शोध कार्य संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन, अपने निर्देशक/गाइड से प्रमाणित कराकर संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से, उपस्थिति पत्रक, उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्देशक/गाइड से प्रमाणित कराकर आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन भोपाल को निर्धारित तिथि/अवधि में भेजना आवश्यक होगा। जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर शोधार्थी/एम.फिल/स्नातक को छात्रवृत्ति की राशि बैंक के माध्यम से सीधे विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान को भेजी जायेगी एवं राशि के भुगतान की सूचना शोधार्थी को दी जायेगी और विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा प्राप्ति की रसीद आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत की जायेगी।
20. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में जानकारी—आवेदन पत्र समाचार पत्रों/रोजगार निर्माण/ विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित आवेदन पत्र को ही प्रारूप मानकर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र की पूर्ति कर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर आयुक्त, उच्च शिक्षा, पांचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल में विज्ञापन में अंकित निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा जमा किये जा सकेंगे। अपात्र/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण तथा अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे। (परिशिष्ट 03 एवं 06)
21. विभागीय पोर्टल—आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय पोर्टल www.higereducation.mp.gov.in पर छात्रवृत्ति योजनाएं में उपलब्ध है।

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित शिक्षण संस्थाओं की सूची

विदेश में अध्ययन हेतु चिह्नित की गई शैक्षणिक संस्थाएं

Country	University/Institutes
Australia	Australia National University (ANU), University of Sydney, University of Melbourne, University of Queensland (UQ), University of New South Wales (UNSW), Monash University, University of Western Australia (UWA)
Canada	McGill University, University of Toronto, University of British Columbia (UBC), University of Alberta
China	Peking University, Tsinghua University
Denmark	University of Copenhagen, Aarhus University
Finland	University of Helsinki
France/ Germany	Germany- Ruprecht Ecole Normale Supérieure de Paris (ENS Paris), Ecole Polytechnique, ParisTech-Karlsruhe Institute of Technology, Universität Münster (TUM), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Freie Universität Berlin, Universität Freiburg, University of Stuttgart
Hong Kong	University of Hong Kong (HKU), Hong Kong University of Science and Technology, Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Ireland	Trinity College Dublin
Japan	University of Tokyo, The Kyoto University, Osaka University, Tokyo Institute of Technology, Nagoya University
Korea South	Seoul National University (SNU), KAIST- Korea Advanced Institute of Science & Technology
Netherlands	University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Eindhoven University of Technology
New Zealand	University of Auckland
Norway	University of Oslo
Russia	Lomonosov Moscow State University,

Singapore	National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) Sweden-Uppsala University, Lund University
Switzerland	ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, University of Geneva
Taiwan	National Taiwan University (NTU)
United Kingdom	University of Cambridge, UCL (University College London), University of Oxford, Imperial College London, King's College, London (KCL), University of Edinburgh, University of Bristol, University of Manchester, University of Warwick, University of Birmingham, University of Sheffield, University of Nottingham, University of Glasgow, London School of Economics and Political Science, University of Southampton, University of Leeds, University of York, Durham University, University of St Andrews.
United States	Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Chicago, California Institute of Technology (Caltech), Princeton University, Columbia University, University of Pennsylvania (UPenn), Stanford University, Duke University, University of Michigan, Cornell University, Johns Hopkins University, Northwestern University, University of California, Berkeley (UCB) Carnegie Mellon University (CMU), University of California, Los Angeles (UCLA), Brown University, New York University (NYU), University of Wisconsin-Madison, University of Washington, University of North Carolina, Chapel Hill, University of Illinois at Urbana-Champaign, Boston University, University of California, San Diego (UCSD), University of Texas at Austin (UT Austin), Washington University in St. Louis, Purdue University, Dartmouth College, University of Minnesota, Pennsylvania State University (Penn State)

परिवार की वार्षिक आय का शपथ—पत्र

AFFIDAVIT

(On Rs.100/- Non judicial stamp paper of affix Rs. 100/- special adhesive stamp)

[This affidavit is to be sworn by Head of Family of a student on behalf of all earning members of the family]

I _____ S/oD/o Shri _____ aged _____
about _____ years having an occupation of _____
resident of _____ do hereby solemnly affirm and state on
oath as follows:

1. I am the deponent herein as such i am well acqualnted with the facts of this affidavit.
2. I submit that i am the permanent resident of _____ (give complete address) of _____ Tehsil _____ District.
3. I submit that annual income of my family is Rs. ----- (Rs. in words -----) from all sources.
4. I submit that I belong to _____ caste, which is classified as SC/ST/OBC/General.
5. The said affidavit of caste, residence and income is necessary for my son/daughter named _____ for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availingscholarship from the higher education department for Higherstudies at abroad.
6. The above facts states are true and correct to the best of my knowledge and belief.
7. Hence this affidavit.

Sworn and signed befor me on this _____day of _____ month _____ Year at (place) _____

This format of affidavit is common for caste, residence & income certificates. The applicant needs to declare the appropriate clauses.

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए योजना

मांग संख्या 44 योजना कोड –0744 प्रतिभाशाली अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना शीर्ष

आवेदन–पत्र का प्रारूप
(सत्र जनवरी से जून 2025)
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

आवेदन क्र.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक

आवेदन पत्र (आवेदक द्वारा भरा जाए)

म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित करने की जानकारी	विद्यार्थी का फोटोग्राफ़ दिनांक सहित
छात्रवृत्ति फीस/शुल्क की राशि	
आवेदित पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए विदेश में विश्वविद्यालय/संस्था अधिकृत है।	
विविध/संस्था का नाम/पता, जहां प्रवेश लिया जाना है। (ऑफर लेटर की प्रति)	विद्यार्थी के पिता/माता/अभिभावक का फोटोग्राफ़
राज्य सरकार से अपेक्षित छात्रवृत्ति की राशि की जानकारी	

1	विद्यार्थी का नाम	:-	
2	जन्म दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) आवेदन वर्ष के दिनांक 01 जनवरी को आयु	:-	
3	पिता/संरक्षक/अभिभावक का नाम (टिक करें)	:-	
4	पिता/संरक्षक/अभिभावक का जन्म दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) (टिक करें)	:-	
5	पिता/संरक्षक/अभिभावक का पैन क्रमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी) बैंक खाता क्रमांक एवं आधार नंबर (तीनों की छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
6	माता का नाम	:-	
7	माता का जन्म दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष)	:-	
8	माता का पैन क्रमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी) बैंक खाता क्रमांक एवं आधार नंबर (तीनों की छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
9	पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक का वर्तमान पता	:-	
10	पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक का स्थायी पता	:-	
11	दूरभाष क्रमांक	:-	
12	मोबाइल नं. स्वयं का एवं माता/पिता/अभिभावक का	:-	
13	पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक का नौकरी/व्यवसाय करने का पूर्ण विवरण (शासकीय/अशासकीय)	:-	
14	परिवार की वार्षिक आय/दस्तावेज	:-	
15	परिवार में आश्रितों की संख्या विवरण सहित	:-	
16	परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या एवं नाम	:-	
17	क्या परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बी.पी.एल.सूची का सदस्य है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें। सत्यापित प्रपत्र संलग्न करें।	:-	
18	विद्यार्थी द्वारा कक्षा दसवीं पास करने का विवरण	:-	
	वर्ष	:-	
	प्राप्तांक/पूर्णांक	:-	
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
	बोर्ड का नाम	:-	

	विद्यार्थी द्वारा कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने का विवरण / दस्तावेज	:-	
19	वर्ष	:-	
	प्राप्तांक / पूर्णांक	:-	
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
	बोर्ड का नाम	:-	
20	विद्यार्थी द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने का विवरण / दस्तावेज	:-	
	वर्ष	:-	
	प्राप्तांक / पूर्णांक	:-	
	महाविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
	विश्वविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
21	विद्यार्थी द्वारा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का विवरण / दस्तावेज / एम.फ़िल भी शामिल करें	:-	
	वर्ष	:-	
	प्राप्तांक / पूर्णांक	:-	
	महाविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
	विश्वविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	:-	
22	शैक्षणिक डिस्टिंक्शन / पुरस्कार आदि का विवरण / दस्तावेज	:-	
23	प्रवेश परीक्षा एवं अन्य का विवरण परीक्षा का विवरण (GRE/TOFEL/GMAT/Other)	:-	
	वर्ष	:-	
	वैधता	:-	
	प्राप्तांक / रेंक / ग्रेड	:-	
	परीक्षा का पूरा नाम	:-	
	परीक्षा आयोजनकर्ता का नाम	:-	

	आवश्यक वित्तीय सहायता का विवरण (जो लागू हो कृपया उसे भरें)	:-	
	विदेश में अध्ययन हेतु	:-	
	वार्षिक सत्र शुल्क	:-	
	आशयक पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर आदि	:-	
	छात्रावास एवं भोजनालय शुल्क	:-	
	वार्षिक कुल व्यय राशि	:-	
	कुल शैक्षणिक अवधि	:-	
	सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि हेतु आवश्यक कुल राशि	:-	
24	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:-	
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान योजना अंतर्गत चिह्नित एवं सूचीबद्ध है अथवा नहीं।	:-	
	कुल शिक्षा शुल्क संपूर्ण शिक्षा अवधि हेतु	:-	
	कुल शैक्षणिक अवधि के दौरान भरण पोषण हेतु आवश्यक राशि	:-	
	एक तरफ का निकटतम हवाई/समुद्री किराया	:-	
	कुल व्यय राशि	:-	
	कुल शैक्षणिक अवधि	:-	
	कुल व्यय राशि के बराबर की विदेश मुद्रा	:-	
25	आधार कार्ड का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
	आधार कार्ड का नं.	:-	
	आधार कार्ड में उल्लेखित आवास का पता	:-	
26	आवेदनकर्ता का ब्लड ग्रुप	:-	
	मोबाइल नं.	:-	
	ई-मेल आई.डी.	:-	
	आवेदनकर्ता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है?	:-	
	विद्यार्थी द्वारा वर्तमान में किसी अन्य तरह की छात्रवृत्ति का लाभ लिया जा रहा है, तो उसका विवरण दें।	:-	
27	आवेदक के पास पोर्ट का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
	पासपोर्ट का नंबर वैधता तिथि	:-	
28	आवेदक का पेन कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न करें)	:-	

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

दिनांक

घोषणा

मैंसुपुत्र/सुपुत्री/श्रीमती/श्रीएतद
द्वारा जारी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विदेश अध्ययन हेतु आवेदन में दी गई जानकारी सत्य
एवं पूर्णतया सही है। जानकारी असत्य पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। अपूर्ण एवं
असत्य जानकारी पाये जाने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक विद्यार्थी के हस्ताक्षर		पालक के हस्ताक्षर
स्थान :-		स्थान :-
दिनांक		दिनांक
मोबाइल नंबर		मोबाइल नंबर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन क्र.	
आवेदन प्राप्ति का दिनांक	
आवेदन कैसे प्राप्त हुआ	सीधे/शैक्षणिक संस्था से नोडल अधिकारी का अभिमत
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता	हाँ/नहीं
छात्रवृत्ति राशि की पात्रता	रूपये
अनुशंसा	हाँ/नहीं
नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर	
नोडल अधिकारी का नाम	
दिनांक	
	विभागाध्यक्ष का अभिमत
अनुशंसा	हाँ/नहीं
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर	
विभागाध्यक्ष का नाम	
दिनांक	
	आतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अनुमति
अनुमति	हाँ/नहीं
अति.मुख्य सचिव के हस्ताक्षर	
अति.मुख्य सचिव का नाम	
दिनांक	

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने वाले संलग्नकों की सूची :-

- (I) परीक्षाओं जैसे बोर्ड/स्नातक एवं स्नातकोत्तर/पीएच.डी उपाधि का प्रमाण पत्र एवं शोध उपरांत किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में अधिकृत पत्र आदि की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र।
 - (II) परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र जो कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा निजी संस्था में कार्यरत हाने पर नोटरी से अभिप्राप्त शपथ-पत्र एवं निजी संस्था के सक्षम प्राधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट-4)
 - (III) विदेश जाने के लिए आज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति यदि वह पहले से ही प्राप्त कर ली गयी है।
 - (IV) विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश पत्र की प्रमाणित प्रति यदि वह पहले से ही प्राप्त कर ली गयी है।
 - (V) आवेदन पत्र में उल्लेखित सम्पर्ण व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ
 - (VI) एकल अभिभावक की स्थिति में नियम संगत वैधानिक प्रमाण पत्र।
- उच्च शिक्षा संचालनालय स्तर पर योजना से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु।

निर्धारित पंजी हेतु प्रपत्र

क्र.	विवरण	:	जानकारी
1	विद्यार्थी का नाम एवं पूरा पता	:	
2	आवेदन क्रमांक एवं दिनांक	:	
3	विद्यार्थी के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में उपलब्धि पास/फेल/ब्रेक आदि का विवरण	:	
	प्रथम वर्ष/सेमेस्टर	:	
	द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर	:	
	तृतीय वर्ष/सेमेस्टर	:	
	चतुर्थ वर्ष/सेमेस्टर	:	
	पंचम वर्ष/सेमेस्टर	:	
	छठवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	सातवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	आठवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	नौवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	दसवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
4	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विदेश में स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को भुगतान की गई ¹ फीस/शुल्क की राशि का विवरण	:	दिनांकराशि.....
	प्रथम वर्ष/सेमेस्टर	:	
	द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर	:	
	तृतीय वर्ष/सेमेस्टर	:	
	चतुर्थ वर्ष/सेमेस्टर	:	
	पंचम वर्ष/सेमेस्टर	:	
	छठवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	सातवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	आठवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	नौवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
	दसवां वर्ष/सेमेस्टर	:	
5	विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने पर निर्धारित किसी भी एक तिथि तक देय ऋण एवं ब्याज की राशि का आंकलन (बैंक से प्राप्त कर दिनांक एवं मूल ऋण तथा ब्याज की राशि का विवरण)	:	
6	डिफाल्ट विद्यार्थी हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई ² गणना के अनुसार राशि की मांग संबंधी जानकारी वित्त विभाग को भेजने का दिनांक	:	
7	वित्त विभाग द्वारा योजना के चूक (डिफाल्ट) संबंधी राशि का विवरण (12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ)	:	
8	विभाग द्वारा डिफाल्ट की दशा में वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	:	

नोट:- प्रत्येक विद्यार्थी हेतु रजिस्टर में एक-एक पृष्ठ पर जानकारी भरी जाय।

बंध—पत्र का प्रारूप

**BOND AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE STUDENT JOINTLY WITH
THE HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**

This BOND AGREEMENT is made between the (Student Name) son / daughter of (Full Address) (here in after called the "Student" which expression shall repugnant to the context or meaning there of includes successors and assignee) on the first part.

And

The Department of Higher Education Government of Madhya Pradesh, issuing Guarantee in favour of the bank on behalf of the Governor of Madhya Pradesh acting through the Commissioner/Director of the said Director of the Higher Education Department (hereinafter called the "Guarantor" which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of includes the successors and assignee) on the second part.

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh by exercising powers delegated to it under the Madhya Pradesh state Governmet Guarantee Ruls, 2009 has guaranteed repayment of principal amount of Scholarship of Rs. (Amount in Words) only taken by (Name of the student) from Higher Education Department, Satpuda Bhawan, Bhopal (Name and full address of the bank), and payment of interest there on together with other charges as under :

In consideration of the promises and covenants here in contained, the parties here to agree as follows:

- II. The Guarantor will intimate the Department upon each disbursement of the loan amount within 15 days from the date of disbursement ; The Guarantor will intimate the Department of any default either of principal amount or interest amount within 15 days from the due date of such payment to the lender (s).
- III. In the event of the Candidate coming to know in advance that it would not be able to pay the dues on due dates, the student will keep the department informed of such likely default;
- IV. The Department will have powers to review periodical peerformance of the candidate; and

- V. The Department will have the right to recover any payment(s) made to the Guarantor in case of invocation of guarantee as arrears of land revenue from the student.

IN WITNESS WHEREOF, The candidate has set his/her hands to this agreement and a duplicate thereof as of the day, month and the year noted below:-

On behalfe of the Government of M.P.	Candidates
Name :	Name :
Office Address :	Home Address & Mobile No.
Date :	Date :
	Candidate Student's Parent
	Signature
Seal	Name :
	Home Address & Mobile No.
	Date :

Witness No. 1

1. Name :-

Signature :-

Address :-

Date :-

Witness No. 2

2. Name :-

Signature :-

Address :-

Date :-

बंध—पत्र का प्रारूप

**BOND AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE STUDENT JOINTLY WITH
HIS/HER PARENT WITH HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**

This BOND AGREEMENT is made between the (Student Name) son / daughter of (Full Address) (here in after called the "Student" which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of includes the successors and assignee) on the first part.

And

The Department of Higher Education Government of Madhya Pradesh, issuing Guarantee in favour of the bank on behalf of the Governor of Madhya Pradesh acting through the Commissioner/Director of the said Director of the Higher Education Department (hereinafter called the "Guarantor" which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of includes the successors and assignee) on the second part.

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh by exercising powers delegated to it under the Madhya Pradesh state Governmet Guarantee Ruls, 2009 has guaranteed repayment of principal amount of Scholarship of Rs.....(Amount in Words.....) only taken by (Name of the student) from Higher Education Department, Satpuda Bhawan, Bhopal (Name and full address of the bank), and payment of interest there on together with other charges as under: Amount of Scholarship.....

Name :-

Signature :-

Address :-

Date :-

AFFIDAVIT

(On Rs.500/- Non judicial stamp paper of affix Rs. 500/- special adhesive stamp)

[This affidavit is to be sworn by Head of Family of a student on behalf of all members of the family]

I. _____ S/oShri _____ aged about years having an occupation of _____ resident of _____ do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. I am the deponent herein as such i am well acqualnted with the facts of this affidavit.

2. I submit that i am the permanent resident of _____ (give complete address) of _____ Tehsil _____ District.

3. I ams fully agree with the terms and conditions of the scholarships shcheme under the heading "Foreign scholarship scheme for higher studies of financial weaker and talented students year 2019-20 " land by the State Government and the conditions related to the Cantral Govt. norms and standards.

IN WITNESS WHEREOF, The candidate has set his/her hands to this agreement and a duplicate thereof as of the day, month and the year noted below:-

On behalf of the Government of M.P.	Candidates
Name :	Name :
Office Address :	Home Address & Mobile No.
Date :	Date :
	Candidate Student's Parent
	Signature
Seal	Name :
	Home Address & Mobile No.
	Date :

Witness No. 1

1. Name :-

Signature :-

Address :-

Date :-

Witness No. 2

2. Name :-

Signature :-

Address :-

Date :-

**APPLICATION FORM FOR THE HIGHER STUDIES
FOREGIN SCHEME FOR THE TALENTED STUDENTS
Year 2024-25**

**Passport size
photograph
to be pasted
here**

1. **Full Name** ::

.....
Only capital letter's
2. **Father's Name** ::
3. **Date of Birth** ::
4. **Place of Birth** ::
5. **Nationality** ::
6. **State /UT to which you belong** ::
7. **Religion** ::
8. **Caste** Specify whether (General) ::
9. **Address (with Pin Code No.)**
 (a) **Present** ::
.....
 (b) **Mailing** ::
 (c) **Permanent** ::
.....
 (d) **Phone/Mobile No.** ::

10. Particulars of academic/profesional examinations passed (beginning with Matriculation or equivalent):

University /Institution / Board	Exam passed Cert/Degree Awarded	Year	Marks (%)	Class/ Division	Subject

10. Details of published research papers/ books, if any (Please attach a separate sheet) :
11. If applied for any scholarship in the last 2 years, State the title/results :
12. Have any of your relatives been awarded this scholarship? If yes so, please state their name, relationship with you and year of award.
13. Details of proposed study abroad
 (a) subject :
- (b) Sub-subject :
- (c) Research topic, if applicable(details of proposed research in not more than 500 words should be attached, in triplicate) :
14. Degree/Programme for which scholarship is sought i.e.M.Sc./Ph.D. :

- 15. Institution abroad** :
- (a) to which you have applied :
- (b) to which you would like to seek admission :
- 16. If you have already obtained Admission, specify;**
- (a) Instiution :
- (b) Course :
- (c) Expected date of joining :
- (d) Conditions, if any of admission offer (with copies of relevant correspondence) :
- 17. Prospects in India after study abroad** :
- 18. Passport No. & Visa No.** :
- 19. Next of kin in india to be notified in case of emergeny.**
- (a) Name. :
- (b) Address :
- (c) Telephone & Fax No. :
- :

(d) E-Mail ID

**(e) Aadhar Card No.
& its copy**

20. (f) Relationship :

(g) Bank Account :
Details of the Candidate/Praent
s/ Spouse

(i) Samagra ID of the candidate :

I hereby declare that the above entries are true to best of my knowledge and belief and furnishing of false information by me will attract such action as details in the regulations of the Scheme.

Date :

(Signature of Candidate)

Name :

Address :

Mob. No.

E-mail Address :

Aadhar No.

Note: Attested copies of the following documents must accompany with applications:-

- (a) Matriculation or other certificate as proof of date of birth.**
- (b) Caste certificate from competent authority.**
- (c) All Degree/Diplomas/Certificate with marksheets.**
- (d) Income Certificate as below (In original).**

INCOME CERTIFICATE FORM
(To be attached in original with application)

परिशिष्ट-7

I certify to the best of my knowledge that the average monthly income in the preceding year ending on 31st March from all sources (i) of the applicant Shri/Smt./Ku.of Village Tehsil District was Rs.per month (ii) of his/her/Father/mother/Spouse/Guardian* Shri/Smt./Ku.* was Rs. per month. i.e. (iii) a total monthly income of Rs. per month (i+ii), further certify that Shri/Smt./Ku.*(applicant)is a citizen of India.

(Signature of competent authority)**

Designation**/Address

Date/Place

Seal of Office

Note:

The income of the applicant and of his parents/guardians including the income, if any from the landed property or other source after deducting rebatable items as per income tax assessment has to be taken into account in declaring the total income; (and) scholarship or fellowship which the applicant may be receiving is not to be treated as a salary and may, therefore be excluded) In case of salaried class, Conveyance Allowance, Overtime Allowance and rent ; free accommodation shall not be included in determining the income, Deputation Allowance, Honoraria for undertaking other work, special pay and bonus etc, shall however be treated as income.

2. So long as either of the parents is alive, the total income of the living parents including that of the applicant, or if supported by guardian(s), the total income of the guardian(s) including that of the applicant, has to be specified. In case the applicant is self-supporting or is himself/herself the head of the family, the total income of the applicant and of his/her spouse has to be specified.

*Score out that which is not applicable.

**The income certificate may be signed by one of the following as the case may be:

- (I.) The Official Superior of head of the Department in cases where the parents/guardians(s)/applicant is in Govt. Service: (ii) The employer, in case of parents/guardian(s) applicant if private employment: (iii) Competent Gazetted Officer of Government in case of parents/guardian(s) applicant is private not in regular service; and (iv) A Gazetted officer of the Revenue or Sales Tax Department in the case of parents/guardian(s) applicant, who are agriculturists or merchants.